न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 120/2010 तारीख रजू:—03.11.2010

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. श्रीमती मोहरबाई उर्फ राजेश कुमारी पुत्री स्व० गोकलसिंह पत्नी श्री बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गाजीपुर, तहसील महवा, जिला दौसा ——मृतक

1/1.	राजेन्द्रसिंह	पिसरान बजरंग सिंह	जाति राजपूत, निवासी गाजीपुर तहसील महवा, जिला दौसा राजस्थान।
1/2.	वीरेन्द्रसिंह		
1/3.	भूपेन्द्रसिंह		
1/4.	श्यामसिंह		
1/5.	धर्मवीरसिंह		
1/6.	राजकुमार सिंह		
1/7.	बजरंगसिंह पुत्र लक्ष्मण		

2. श्रीमती भंवरबाई पुत्री स्व0 गोकलसिंह पत्नी रघुवीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी गाजीपुर, तहसील महवा. जिला दौसा (राज०)

2/1.	सुमेरसिंह	पिसरान रघुवीरसिंह	जाति राजपूत, निवासी गाजीपुर तहसील महवा, जिला दौसा राजस्थान।
2/2.	शक्तिसिंह		
2/3.	रूपसिंह — मृतक		
2/4.	दीपकसिंह	पिसरान महेन्द्रसिंह	
2/5.	घनश्यामसिंह		
2/6.	सायरबाई बेवा महेन्द्रसिंह		
2/7.	मीनाक्षी पुत्री महेन्द्रसिंह		
2/8.	मुन्नी बाई	पुत्रियां रघुवीरसिंह	
2/9.	गुड्डी बाई		
2/10.	बेबी		

3. श्रीमती सूरजबाई पुत्री स्व० गोकलसिंह पत्नी श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी गाम सुआकी, तहसील वैर, जिला भरतपुर (राज०)

4. श्रीमती कैलाशबाई पुत्री स्व० गोकलसिंह पत्नी श्री रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बागौर, तहसील नादौती, जिला करौली (राज०) ——सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बनाम

1. भौरूसिंह पुत्र जनकसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झिरना, तहसील नादौती (राज०)
——मृतक

1/1.	हरीओम पुत्र भौरूसिंह	जाति राजपूत
1/2.	मु० पुष्पा बेवा भौरूसिंह	निवासी ग्राम झिरना,
1/3.	कुमारी पूजा पुत्री भौरूसिंह	तहसील नादौती
1/4	कुमारी शोभा पुत्री भौरूसिंह	राजस्थान।

2. बृजेन्द्रसिंह पुत्र जनकसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झिरना, तहसील नादौती, जिला करौली हाल जिला गंगापुरसिटी (राज०)
3 श्रीमती भौरीबाई पुत्री स्व० जनकसिंह, पत्नी ईश्वरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नवलपुरा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर (राज०)
4. श्रीमती उच्छबाई पुत्री स्व० जनकसिंह, पत्नी तेजसिंह, जातिं राजपूत, निवासी ग्राम नवलपुरा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर (राज०)

5.	देवेन्द्रसिंह	पिसरान जोरावरसिंह, जाति राजपूत,
6.	ज्ञानेन्द्रसिंह	निवासी ग्राम झिरना,
7.	प्रभुसिंह	तहसील नादौती,
8.	शिवम	जिला करौली

9. श्रीमती छगनबाई पुत्री स्व० जोरावरसिंह, पत्नी श्री रघुवीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बरनाला, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर (राज०) –मृतक

9/1.	लालसिंह पुत्र रघुवीर	सभी जातियान राजपूत, निवासी बरनाला
9/2.	जीतू पुत्र रघुवीर	तहसील बामनवास, जिला–करौली (राज०)

10. श्रीमती छगनबाई पुत्री स्व० जोरावरसिंह, पत्नी श्री रामकुमारसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम नवलपुरा, तहसील राजगढ़. जिला अलवर (राज०)
11. श्रीमती ममता पुत्री स्व० जोरावरसिंह पत्नी श्री शंकरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम वाटोदा, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर (राज०)
12. श्रीमती गुडिया पुत्री स्व० जोरावरसिंह, पत्नी कुलदीप सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रोहत, तहसील महवा, जिला दौसा (राज०)
13. मु० मानबाई बेवा स्व० जोरावरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झिरना, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज०)
14 मोहनसिंह पुत्र गोकलसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झिरना, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज०)
— मृतक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

14/1. विलीपसिंह
14/2. दानसिंह
14/3. शकुन्तला पत्नी मोहनसिंह
14/4. गुढाबाई पुत्री मोहनसिंह
14/5. कल्पनाबाई पुत्री मोहनसिंह

जाति राजपूत, निवासी ग्राम झिरना, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज०)

15. प्रताप पुत्र स्व० मोतीसिह. जाति राजपूत, निवासी ग्राम झिरना, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज०) —— मृतक

15/1. भागसिंह पुत्र प्रताप, जाति राजपूत, निवासी झिरना, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज०)

16. खिल्ली उर्फ सीताराम पुत्र भग्गे
17. फत्ते पुत्र बाबू
18. धर्मसिंह आयु 58 साल पुत्र सुक्कन —मृतक

जाति गुर्जर, निवासी ग्राम झिरना, तहसील हिण्डौन, जिला करौली

18/1. शीशराम पुत्र धर्मसिंह
18/2. शिवराम पुत्र धर्मसिंह
18/3. रूमाली बेवा धर्मसिंह

सभी जातियान राजपूत, निवासी झिरना तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली

19. दी स्टेट ऑफ राजस्थानय जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदारजी, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान। ——————————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायल

निर्णय

दिनांक :— 02.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया गया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज विभाजन कृषि आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया गया है कि आराजीयात साविक खसरा नम्बर—76, 78, 104, 196, 197, 198, 201, 242, 246, 87, 88 89, 90, 91, 245, 72 कुल किता 16 कुल रकवा 52 बीघा 12 विस्वा कि जिसके वाद सेटिलमेंन्ट नवीन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नम्बर–273, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 149, 151, 176, 299, 302 434, 436, 437, 94, 145, 435 कुल किता 18 कुल रकबा 14.60 हैक्टेयर बने हैं, ग्राम भिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली, (राज.) में स्थित हैं। हाल रेवन्यू रिकॉर्ड संवत्–2064 से 2067 निम्न प्रकार हैं खेवट खतौनी संवत्–91(85) खसरा नम्बर 273 रकबा 0.04 एयर गैर मु0 चाह भौरूसिंह, बृजेन्द्र पिसरान जनकसिंह हिस्सा 1/9 देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह, मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनबाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 1/9 मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 1/9 (1/3) राजपूत, खिल्ली उर्फ सीताराम पुत्र भग्गो फत्ते पुत्र बाबू, धर्मसिंह पुत्र सुक्कन गुर्जर हिस्सा 2/3 खेवट खतौनी सं 92(86) खसरा नम्बर–16 रकबा 0.52 एयर, खसरा नम्बर–161 रकबा 0.60 एयर, खसरा नम्बर–162 रकबा 0.32 एयर, खसरा नम्बर–163 रकबा 0.02 एयर, खसरा नम्बर–164 रकबा 0.44 एयर, खसरा नम्बर–165 रकबा 0.38 एयर भौरूसिंह, बृजेन्द्रसिंह पिसरान जनकसिंह हिस्सा 1/6, देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनवाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 1/6, मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 1/6, प्रताप पुत्र मोतीसिंह हिस्सा 1/2, जाति राजपूत खेवट खतौनी संख्या 94(88) खसरा नम्बर 149 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.68 एयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 3.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.68 एयर खसरा नम्बर 302 रकवा 0.71 एयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.56 एयर, खसरा नम्बर 436 रकवा 0.41 एयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.43 एयर, भौरूसिंह, बृजेन्द्रसिंह पिसरान जनकसिंह हिस्सा 1/3, देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनबाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 1/3, मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 1/3, जाति राजपूत खेवट खतौनी सं. 96(90) खसरा नम्बर–94 रकबा 0.68 एयर, खसरा नम्बर–145 रकबा 1.33 हैक्टेयर, भौरूसिंह, बृजेन्द्रसिंह पिसरान जनकसिंह हिस्सा 1/3, देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनबाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 1/3, मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 1/3, जाति राजपूत खेवट खतौनी सं. 97(91) खसरा नम्बर 435 रकबा 0.01 एयर गैरमुमकिन चाह, भौरूसिंह, बृजेन्द्रसिंह पिसरान जनकसिंह हिस्सा 2/9, देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनवाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 2/9, मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 2/9, परतावसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा 1/3 जाति–राजपूत, निवासी –ग्राम भिरना, तहसील हिण्डौनसिटी दर्ज है। जबकि सायलान भी गैरसायलान नम्बर–1

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लगायत 4 के पिता स्व0 जनकसिंह व गैरसायलान नम्बर–5 लगायत 12 के पिता व गैरसायल नम्बर–13 के पति स्व. जोरावरसिंह व गैरसायल नम्बर 14 मोहनसिंह के साथ अपने पिताजी स्व. गोकुलसिंह पुत्र ईश्वरसिंह की कानूनी वारिसान होने के कारण मृतक पिता द्वारा छोडी गई पैत्रिक आराजीयात में प्रत्येक सायलान 1/7 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया गया है कि विवादित आराजीयात वर्णित मद नम्बर–2 प्रार्थना पत्र सायलान एवम् गैरसायलान नम्बर–1 लगायत 14 को अपने बुजुर्ग स्व0 गोकलसिंह से विरासत में मिली है जो कि पैत्रिक आराजीयात है। इस मद में सायलान ने सजरा खानदान अंकित किया है जिसमें गोकलसिंह पुत्र ईश्वरसिंह के तीन पुत्रें जनकसिंह (फौत), जोरावरसिंहइ (फौत), मोहनसिंह एवं चार पुत्रियॉ मोहरवाई भंवरवाई, सूरजवाई, कैलाशवाई तथा जनकसिंह (फौत) के वारिस दो पुत्र भौरूसिंह बृजेन्द्रसिंह एवं दो पुत्रीया वोहरीवाई उच्छववाई तथा जोरावरसिंह (फौत) के वारिस चार पुत्र देवेन्द्रसिंह ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम तथा चार पुत्रियॉ छगनवाई मुन्नी ममता गुडिया एवं वेवा मानवाई है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया गया है कि सायलान एवम् गैरसायलान विवादित आराजीयात वर्णित मद नम्बर–2 प्रार्थनापत्र पर अपने हिस्सानुसार वजमाने वुजुर्गान काविज व दखील चले आ रहे हैं परन्तु सायलान के पिता श्री गोकुलसिंह के मरने के बाद विवादित आराजीयात की खातेदारी राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण संख्या 197 दिनांकित 3.01.1981 गोकलसिंह की बजाय मोहनसिंह गैरसायल नम्बर 14 जनकसिंह (पिता गैरसायल नम्बर–1 लगायत 4) व जोरावरसिंह (पिता व पति गैरसायल नम्बर–5 लगायत 13) के नाम राजस्व कर्मचारियों की भूल से मृतक गोकलसिंह के कानूनी वारिसान की जांच किये बिना एवम् विवादित भूमि पर कब्जे की जांच किये बिना दर्ज कर दी गई है जो कि नामान्तरण संख्या 197 तारीखी 03.01. 1981 वमुकावले सायलान नल एण्ड वोईड तथा प्रभावहीन है जबकि गोकलसिंह के मरने के बाद विवादित आराजीयात की खातेदारी में मोहनसिंह जनकसिंह जोरावरसिंह के साथ–साथ सायलान का नाम भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होना चाहिए था कि जिसे दुरूस्त करवाकर सायलान अपने नाम खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने की अधिकारी है। इसलिए प्राइमाफेसी केश सायलान वखुवी सावित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया गया है कि दिनांक 15.09.2010 को वमुकाम झिरना सायलान ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजीयात में अपने हकूक खातेदारी को दुरूस्त कराकर राजस्व अभिलेख में सायलान के नाम खातेदारी कराने को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कहा तो गैरसायलान इंकार हो गये एवम् विवादित आराजीयात में सायलान की हकूक खातेदारी से भी इंकार कर दिया एवम् ऐलानिया धमकी भी दी कि वह सायलान को जबरन ातकत के बल पर बेदखल कर अपना अवैध कब्जा करेंगे। यदि गैरसायलान अपनी उक्त वेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही है प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं होगी इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह मुतजिका मद नम्बर–2 प्रार्थनापत्र में वर्णित सायलान के हिस्से दर 1/7 हिस्सा की भूमि के उपभोग व उपयो व कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, सायलान को बेदखल नहीं करे तथा विधिवत रूप से विभाजन कराये बिना वादग्रस्त आराजीयात का कोई भी हिस्सा रहन व्यय या ट्रान्स्फर नहीं करे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करे, और नाही किसी अन्य से करावें जिससे सायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे व हक तलफी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 07.12.2010 को गैरसायल सं0 3,4,5,10,11,13 की ओर से श्री हरिबाबू शर्मा एडवोकेट द्वारा बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 01.04.2011 को शेष गैरसायलान की ओर से श्री हरिबाबू शर्मा एडवोकेट द्वारा बकालतनामा पेश किया। दिनांक 29.09.2025 को गैरसायल सं0 9/1, 9/2, 10, 14/1 ता 14/5, 16,17,18/1 ता 18/3 की तामील जरिये समाचार पत्र राष्ट्रदूत में प्रकाशन कराने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 29.06.2011 को गैरसायल सं01 ता 13 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवं झूठा दावा पेश किया जाना स्वीकार है, जिसमें उसे हरगिज सफलता का कोई चान्स नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 में आराजीयात स्थित होना स्वीकार है। जो भूमियां गैरसायलान नम्बर 1 ता 4 को उनके मृतक पिता जनकसिंह से विरासत में प्राप्त हुयी है। तथा गैरसायलान नम्बर 5 ता 12 के पिता व गैरसायल सं. 13 के पति मृतक जोरावर सिंह से विरासत में प्राप्त हुयी है, जिस भूमि को गैरसायलान नम्बर 1 ता 4 व गैरसायलान नं0 5 ता 13 मौके बरबहामी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बंटवारा करके अलग अलग काश्त कर रहे है, तथा समस्त भूमियों को राजस्व लगान भी गैरसायलान नं0 1 ता 13 ही जमा करा रहे है। गैरसायल सं0 14 गोहनसिंह का नाम खातेदारी में गांव की आपसी पार्टीबाजी के कारण सरपंच ग्राम पंचायत खरैटा पं.स. हिण्डौन ने कतई गलत व गैरकानूनी तरीके से फर्जीबाडे से नामान्तरण सं0 197 दिनांक 03.02.81 को भरकर तस्दीक कर दिया था जिसकी अपील गैरसायल नम्बर 5 ता 12 के पिता व 13 के पति जोरावरसिंह ने राजस्व अपीलाधिकारी कोटा में जोरावर सिंह बनाम मोहनसिंह बगैरहा अपील संख्या 22/83 की थी, जिसका दि0 30.07.86 को श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने फैसला कर दिया। जिस निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दि0 02.08.83 को निरस्त कर तहसीलदार हिण्डौन को रिमाण्ड कर दी, जिस अपील में गैरसायल नम्बर 14 के पिता का रूस्तम सिंह दर्ज था और अपील में गैरसायल नम्बर 14 के पिता रूस्तमसिंह के नाम से तामील हुयी थी, सायलान को उस अपील में पार्टी बनकर उज्रदारी करनी चाहिए थी जो उनकी जानकारी में है। गैरसायल सं. 1 ता 4 के बाबा एम गैरसायल नं0 5 ता 12 के बाबा एवम् गैरसायल सं. 13 के ससुर मृतक गोकल सिंह की खातेदारी से गैरसायल नम्बर 14 का कोई संबंध नहीं रहा, विवादग्रस्त भूमिको गैरसायल सं0 14 मोहनसिंह की मां रामदुलारी थी जो जिला इटावा उ0प्र0 की रहने वाली थी, जिसको 80 वर्ष पूर्व गेरसायल सं0 14 के पिता रूस्तमसिंह अपने साथ लेकर ग्राम झिरना में आया था, गैरसायल सं0 14 मु0रामदुलारी का जायन्दा पुत्र था जो रूस्तमसिंह व रामदुलारी से पैदा हुआ था। गैरसायल सं0 14 की मां रामदुलारी व रूस्तमसिंह.ग्राम झिरना में रहते रहे। जिनके बिन्द से सायलागण का जन्म हो गया और सालयान की शादी रूस्तमसिंह व मोहनसिंह ने करदी, तथा सायलान शादी के बाद से ही अपनी अपनी ससुराल में रह रही है, जिनका विवादगस्त भूमि के खातेदार मृतमक गोकलसिंह से कोई संबंध नहीं रहा है, गैरसायल नं. 1 ता 12 के बाबा व गैरसायल सं0 13 के ससुर गोकल सिंह की शादी मु0 किशोर कंवर साथ ग्राम बाबरी, तहसील कुन्डेश्वर जिला इटावा उ0प्र0 से सैकडों वर्ष पूर्व हुयी थी। जिनके दो लडका जनकसिंह व जोरावरसिंह पैदा हुये। इनके अलावा कोई संतान पैदा नहीं हुयी। और जनकसिंह को नो दस वर्ष का छोडकर किशोर कंवर फोत हो गयी। इसके अलावा गैरसायल नं0 1 ता 12 के बाबा व गैरसायल सं0 13 के ससुर गोकलसिंह की दूसरी शादी मु0 सूरजकंवर के साथ ग्राम कतरौली पट्टी तहसील कमालगंज जिला फरूखाबाद उ0प्र0 से हुयी, जिनके कोई संतान पैदा नहीं हुयी और कुछ वर्ष बाद मु0 सूरजकंवर फोत हो गयी और गैरसायल सं0 14 मोहनसिंह व उनके माता पिता रामदुलारी व पिता रूस्तमसिंह की गरीबी हालत थी जो गैरसायलान नं0 1 ता 12 के बाबा व गैरसायल नम्बर 13 के ससुर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की जागीरी से जिनका खर्चा ठिकाने से चलता रहा और जागीरी समाप्त होने के बाद गैरसायल सं0 14 व उसके मां बाप मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते रहे और मृतक गोकल सिंह की भूमियों या अन्य सम्पत्ति से गैरसायल सं. 14 व सायलान का कोई सम्बन्ध नहीं रहा तथा कुछ दिन बाद गैरसायल सं. 14 मोहनसिंह ने गैरसायल सं0 1 ता 14 के पिताजी जनकसिंह की हत्या कर दी, जिसका मुकदमा थाना हिण्डौनसिटी में दर्ज करा दिया। जिसकी एफ.आई.आर. 276/81 अन्तर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में थाना में दर्ज कर बाद तफतीश थाना सूरौठ गैरसायल सं0 14 के फरार होने पर मफरूरी में न्यायालय मुंसिफी हिण्डौन में चालान पेश कर दिया जिसमें गैरसायल सं0 14 के सटैण्डिग वारन्ट जारी है। सायलान के दावे में गैरसायल सं0 14 की तामील कतई गलत मानकर उसके खिलाफ एक तरफा ओदश कर दिया, गैरसायल सं0 14 का ग्राम झिरना में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, गैरसायल सं0 14 व उसकी माता रामदुलारी व पिता रूस्तमसिंह गैरसायल सं. 1 ता 4 के पिता जनकसिंह की हत्या करने के बाद से ग्राम झिरना से भाग गये है, जिनका आज तक कोई पता या जानकारी किसी प्रकार की नहीं है, सायलान स्वयं बतावे कि उनकी मां रामदुलारी कही कहा की रहने वाली थी, सायलान के मामा कौन से गांव के या शहर के है, सायलान का विवादगस्त भूमि के खातेदारान से कोई संबंध नहीं होने से उनके कानूनी वारिसान नहीं माना जा सकता है, मृतक गोकुल सिंह सायलान का पिता नहीं था, बल्कि सायलान के पिता रूस्तमसिंह सायलान उनके पिता रूस्तमसिंह की कायम मुकाम कानूनी वारिसान है, तब मृतक गोकल सिंह की खातेदारी में 1/7 हिस्सा या अन्य हिस्सा सायलान को प्राप्त नहीं हो सकता है। सायलान का विवादगस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। दवाब प्रार्थना–पत्र हाजा क्लीन हैण्ड्स से पेश नहीं किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र व दावा खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 3 कतई गलत व मनगढन्त लिखा होने के कारण अस्वीकार है। विवादित आराजीयसात से सायलान व गैरसायल नम्बर 14 को कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, बल्कि गैरसायल सं. 12 व 13 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, जिसको प्रत्येक कृषि वर्ष में निरन्तर काबिज रहकर वहैसियत मालिक खातेदार टिनैन्ट काश्त करते चले आ रहे है, गोकल सिंह पुत्र ईश्वरसिंह की खातेदारी की भूमियों से सायलान व गैरसायल सं. 14 ने आज तक देखा भी नहीं है, सायलान ने सजराए खानदान कतई गलत लिखा है, बल्कि सही सजरा इस प्रकार से है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 4 कतई गलत होने से अस्वीकार है। विवादग्रस्त भूमि में सायलान व गेरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सं0 14 का कोई हिस्सा नहीं है, गैरसायल सं. 14 ग्राम झिरना में दि0 24.08.81 से गैरसायलान नं0 1 ता 4 के पिता जनकसिंह की हत्या करने के बाद से रहता नहीं है, और उसके न्यायालय सी0जे0, जे0डी0 एण्ड जे0एम0 हिण्डौन से घोषित होने के बाद स्टेण्डिंग वारन्ट जारी है, गैरसायल सं0 14 की पुलिस थाना सूरौठ को सख्त आवश्यकता है, गैरसायल सं0 14 की चस्पान्दगी से तामील कतई गलत व गैरकानूनी मानी है, सायलान का व गैरसायल सं. 14 का गैरसायलान नं. 1 ता 12 के बाबा व गैरसायल सं0 13 के ससुर की खातेदारी की भूमि से कोई बसंबंध नहीं है, नामान्तरण संख्या 1197 दिनांक 03.01.1981 की अपील गैरसायलान नं0 5 ता 12 के पिता व गैरसायल सं0 13 के पति जोरावर सिंह ने श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की थी, जो दिनांक 30.07.86 के निर्णित कर तहसीलदारजी हिण्डौन को रिमान्ड कर दी है, जो जेरे तहकीकात है, उसमें सायलान ने कोई उज्रदारी नहीं की है। और गैरसायल सं0 14 रूस्तमसिंह का लडका है, जिसका विवादित भूमि पर किसी भी हिस्सा पर कब्जा काश्त नहीं रहा है, तथा सायलान का भी विवादगस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, सायलान ग्राम झिरना में ही रहती है, बल्कि अपनी ससुराल में रहती है, विवादगस्त भूमि से सायलान का नाम कतई नहीं जोडा जा सकता है, मृतक गोकल सिंह के विधिक वारिसान गैरसायलान नम्बर 1 ता 13 जो उनके तर्क पर काबिज व दखील है, प्रार्थना–पत्र सायलान इस एडवाइज पर पेश होने से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 5 गलत व मनगढन्त होने के कारण अस्वीकार है, दिनांक 15.09.2010 को या अन्य किसी भी दिन सायलान से गैरसायलान नं0 1 ता 13 की कोई बातचीत नहीं हुयी। सायलान का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं होने से प्रार्थना–पत्र व दावा हाजा लाने का कोई अधिकार नहीं है। गैरसायलान नं0 1 ता 13 का विधि अनुसार कब्जा काश्त विवादित भूमि पर आज तक मौजूद है, जिससे साफ जाहिर है कि सायलान का विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, बल्कि सायलान गलत दावे की आड में गैरसायलान नम्बर 1 ता 13 की भूमि को हडपना चाहती है, वे और बदमाश व्यक्तियों से सांठ गांठ कर गैरसायलान नं. 1 ता 13 को बेदखल करना चाहती है, जिससे हकूक गैरसायलान नं0 1 ता 13 को भारी हानी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। प्रार्थना–पत्र सायलान अपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र में चाही गयी रिलीफ से इन्कारी नहीं है। सायलान विरूद्ध गैरसायलान कोई रिलीफ पाने के हकदार नहीं है। प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2064– 67 किता3, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2033–36, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति सरपंच ग्राम पंचायत खरैटा पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 20.12.2012, फोटो प्रति मेजरनामा वाशिन्दान ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन दिनांक 16.06.2011, फोटो प्रति सरपंच ग्राम पंचायत खरैटा पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 18.11.2012, फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा नं0 120/2010 उनवानी श्रीमती मोहरबाई आदि बनाम भौरूसिंह आदि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में शपथ पत्र लक्ष्मण पुत्र श्री सुक्कनराम जाति गुर्जर उम्र 62 साल निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली दिनांक 17.11.2012, फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा अपील सं0 122/83 उनवानी जोरावरसिंह बनाम मोहनसिंह वगैराह निर्णय दिनांक 30.07.1986, फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा नं0 120/2010 उनवानी श्रीमती मोहरबाई आदि बनाम भौरूसिंह आदि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में शपथ पत्र तेजसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत उम्र 83 साल निवासी लुहारा, तहसील निवाई जिला टौंक दिनांक 21.12.2012, फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा नं0 120/2010 उनवानी श्रीमती मोहरबाई आदि बनाम भौरूसिंह आदि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में शपथ पत्र श्रीमती शान्तिदेवी स्त्री श्री जगदीशसिंह जाति राजपूत उम्र 72 साल निवासी गढ मौठियापुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली दिनांक 08.01.2013, शपथ पत्र बाबू पुत्र हुकम उम्र 60 साल जाति गुर्जर निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली दिनांक 02.07.2014, शपथ पत्र श्रीमती कैलाशबाई उम्र 45 साल पुत्री स्व0 गोकलसिंह पत्नि श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी बागौर तहसील नादौती जिला करौली दिनांक 02.07.2014, शपथ पत्र रामखिलाडी पुत्र भज्जू उम्र 60 साल जाति गुर्जर निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली दिनांक 02.07.2014, पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन सिटी मुकदमा नं0 122/2019 उनवानी सरकार बनाम मोहनसिंह में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 82–83 सीआरपीसी, फोटो प्रति माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन सिटी मुकदमा नं0 122/2019 उनवानी सरकार बनाम मोहनसिंह की आदेशिका, फोटो प्रति माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन सिटी मुकदमा नं0 122/2019 उनवानी सरकार बनाम मोहनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 30.07.1986, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसके आधार पर विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर–76, 78, 104, 196, 197, 198, 201, 242, 246, 87, 88 89, 90, 91, 245, 72 कुल किता 16 कुल रकवा 52 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम झिरना के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर–273, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 149, 151, 176, 299, 302 434, 436, 437, 94, 145, 435 कुल किता 18 कुल रकबा 14.60 हैक्टेयर ग्राम भिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली कायम किये गये हैं। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत्– 2064 से 2067 के अनुसार खसरा नम्बर 273 रकबा 04 एयर गैर मु0 चाह वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन की खातेदारी भौरूसिंह, बृजेन्द्र पिसरान जनकसिंह हिस्सा 1/9 देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह, मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनबाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 1/9 मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 1/9 (1/3) राजपूत, खिल्ली उर्फ सीताराम पुत्र भग्गो फत्ते पुत्र बाबू, धर्मसिंह पुत्र सुक्कन गुर्जर हिस्सा 2/3 निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर–16 रकबा 52 एयर, खसरा नम्बर–161 रकबा 60 एयर, खसरा नम्बर–162 रकबा 32 एयर, खसरा नम्बर–163 रकबा 02 एयर, खसरा नम्बर–164 रकबा 44 एयर, खसरा नम्बर–165 रकबा 38 एयर, वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन की खातेदारी भौरूसिंह, बृजेन्द्रसिंह पिसरान जनकसिंह हिस्सा 1/6, देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनवाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 1/6, मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 1/6, प्रताप पुत्र मोतीसिंह हिस्सा 1/2, जाति राजपूत निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 149 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 68 एयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 3.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 68 एयर खसरा नम्बर 302 रकवा 71 एयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 56 एयर, खसरा नम्बर 436 रकवा 41 एयर,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नम्बर 437 रकबा 43 एयर वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन की खातेदारी भौरूसिंह, बृजेन्द्रसिंह पिसरान जनकसिंह हिस्सा 1/3, देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनबाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 1/3, मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 1/3, जाति राजपूत निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर–94 रकबा 68 एयर, खसरा नम्बर–145 रकबा 1.33 हैक्टेयर वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन की खातेदारी भौरूसिंह, बृजेन्द्रसिंह पिसरान जनकसिंह हिस्सा 1/3, देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनबाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 1/3, मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 1/3, जाति राजपूत निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 435 रकबा 01 एयर गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन की खातेदारी भौरूसिंह, बृजेन्द्रसिंह पिसरान जनकसिंह हिस्सा 2/9, देवेन्द्रसिंह, ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम पिसरान जोरावरसिंह मानवाई वेवा जोरावरसिंह, छगनवाई, मुन्नी, ममता, गुडिया पुत्रियां जोरावरसिंह हिस्सा 2/9, मोहनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हिस्सा 2/9, परतावसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा 1/3 जाति–राजपूत, निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि गोकलसिंह पुत्र ईश्वरसिंह के वारिसान तीन पुत्र जनकसिंह (फौत), जोरावरसिंह (फौत), मोहनसिंह एवं चार पुत्रियॉ मोहरवाई भंवरवाई, सूरजवाई, कैलाशवाई तथा जनकसिंह (फौत) के वारिस दो पुत्र भौरूसिंह बृजेन्द्रसिंह एवं दो पुत्रीया वोहरीवाई उच्छववाई तथा जोरावरसिंहइ (फौत) के वारिस चार पुत्र देवेन्द्रसिंह ज्ञानेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, शिवम तथा चार पुत्रियॉ छगनवाई मुन्नी ममता गुडिया एवं वेवा मानवाई है। इस प्रकार सायलान मृतक गोकलसिंह की पुत्रियॉ होना प्रतीत होता है। उक्त विवादित आराजीयात सेटिलमेन्ट से पूर्व गोकलसिंह पुत्र ईश्वरसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड रही हैं जो फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2033–36 के अवलोकन से स्पष्ट है। साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गोकलसिंह के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके तीन लडके जनकसिंह, जोरावरसिंह, मोहनसिंह के हक में बहिस्सा बराबर का भरकर तस्दीक किया गया होगा तथा गोकलसिंह की चारों पुत्रियॉ मोहरवाई भंवरवाई, सूरजवाई, कैलाशवाई के नाम विरासत का नामान्तकरण भरकर तस्दीक नहीं किया गया है। सायलान अपने पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में अपना हिस्सा लेने के लिए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात के बाबत् गैरसायलान को दावे

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के सायलान अधिकारी साबित है। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। सायलान के दावा के निस्तारण तक उक्त प्रकरण में दिनांक 03.11.2010 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश को यथावत बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर–273, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 149, 151, 176, 299, 302 434, 436, 437, 94, 145, 435, 273, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 149, 151, 176, 299, 302, 434, 436, 437, 94, 145, वाके ग्राम झिरना तहसील हिण्डौन में गोकल पुत्र ईश्वरसिंह के हिस्से में से सायलान के हिस्से की भूमि से बेदखल ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। विधिवत विभाजन कराये बिना कोई हिस्सा रहन वय नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/12/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली